

नियम 94 : विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज मंजूरी आदेश

¹[(1)] जहां धारा 56 के अधीन आवेदक को कोई ब्याज शोध्य हैं और संदेय योग्य है तो समुचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में ²[संदाय आदेश] के साथ एक आदेश जिसमें प्रतिदाय की रकम जो विलंबित है, विलंब की अवधि जिसके लिए ब्याज संदेय है और संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा तथा ब्याज की ऐसी रकम रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट बैंक के खातों में से किसी इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा।

³[(2)] निम्नलिखित अवधियां, उपनियम (1) के अधीन देरी की अवधि में सम्मिलित नहीं की जाएगी, अर्थात :-

(क) नियम 92 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में सूचना की प्राप्ति से पंद्रह दिवस से आगे की कोई समय अवधि, जो आवेदक—

(i) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09 का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने, या

(ii) अतिरिक्त दस्तावेज या प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने, में लेता है; और

(ख) ऐसी कोई समयावधि, जो या तो आवेदक द्वारा उस बैंक खाते, जिसमें प्रतिदाय जमा किया जाना है, के सही ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए या इस प्रकार प्रस्तुत बैंक खाते के ब्यौरों को विधिमान्य करने के लिए ली गई, जहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते में स्वीकृत प्रतिदाय की रकम जमा नहीं हो सकी थी।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 38/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा उपनियम (1) पुनःक्रमांकित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

² अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा शब्द "संदाय सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

³ अधिसूचना क्रमांक 38/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा उपनियम (2) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।